



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940
No. 07]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

फा. सं. एच-22011/2/2014-एसडीई-III.—भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों हेतु सामान्य मानदंड संबंधी अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-I दिनांक 15.07.2015 के अनुच्छेद 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस प्रयोजनार्थ गठित सामान्य मानदंड समिति दिनांक 20.05.2016 तथा 28.02.2017 को यथा संशोधित अनुबंध-1 की अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-I दिनांक 15.07.2015 में पुनः संशोधन करते हुए निम्नलिखित परिवर्तन करती है, नामतः :—

1. ये संशोधन कौशल विकास स्कीमों के सामान्य मानदंड तृतीय संशोधन, 2019 कहे जाएंगे।

संशोधन:

(1) अनुबंध-1 की अनुसूची-I के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित उपअनुच्छेद 1.4 जोड़ा जाता है:

1.4 विभिन्न सेक्टरों की मूल लागत में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है और 01.04.2019 से प्रवृत्त अनुसूची-1 के अनुच्छेद 1.3 में उल्लिखित ये राशियां 10 प्रतिशत संशोधित मानी जाएगी, जो अगले 10 पैसे तक पूर्णांकित होंगी।

विभिन्न सेक्टरों की मूल लागत 01.04.2019 से अधोलिखित होगी:

- अनुसूची-II** की श्रेणी I में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के प्रशिक्षण के लिए 46.70 रुपए प्रति घंटा ।
- अनुसूची-II** की श्रेणी II में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के प्रशिक्षण के लिए 40.00 रुपए प्रति घंटा ।
- अनुसूची-II** की श्रेणी III में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के प्रशिक्षण के लिए 33.40 रुपए प्रति घंटा ।

सुनीता सांची, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2018

F. No. H-22011/2/2014-SDE-III.—In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the Notification No. H22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the purpose makes the following changes further to amend the Schedules of Annexure-1 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 as subsequently amended dated 20.05.2016 and 28.02.2017, namely:

1. These amendments may be called Common Norms for Skill Development Schemes Third Amendment, 2019.

Amendment:

(1) The following sub-clause 1.4 is added to Clause 1 of SCHEDULE-I of Annexure-1:

1.4 The base cost for different sectors is increased at 10% and shall stand revised to 10%, rounded off to the next 10 paise, of the amounts mentioned in Clause 1.3 of SCHEDULE-I with effect from 01.04.2019.

The Base Cost for different Sectors will be as under with effect from 01.04.2019:

- (i) Rs. 46.70 per hour of training for trades/sectors listed in Category I of **SCHEDULE-II**.
- (ii) Rs. 40.00 per hour of training trades/sectors listed in Category II of **SCHEDULE-II**.
- (iii) Rs. 33.40 per hour of training trades/sectors listed in Category III of **SCHEDULE-II**.

SUNITA SANGHI, Senior Advisor